

एनएचपीसी लिमिटेड
निम्मो बाजगो पावर स्टेशन की पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट

मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट

1.	परियोजना का नाम	निम्मो बाजगो पावर स्टेशन (45 मेगावाट)
2.	परियोजना की किस्म	जलविद्युत परियोजना
3.	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	क) पत्र संख्या J-12011/3/2005-IA-I दिनांक 30.05.2005 ख) परियोजना के निर्माण में कोई वन भूमि शामिल नहीं है; इसलिए वन संबंधी स्वीकृति लेना अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.6.2004 को पत्र संख्या CC/FC/423/348-50 द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया है।
4.	स्थान क) जिला (जिले) ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	क) लेह (लद्दाख) – 194 101 ख) केंद्र शासित प्रदेश – लद्दाख ग) 34°12'55" उत्तर घ) 77°11'07" पूर्व
5.	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फ़ैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फ़ैक्स नम्बर सहित)	क) महाप्रबंधक एनएचपीसी लिमिटेड, निम्मो बाजगो पावर स्टेशन, सिल्क रूट इन, लोअर सकारा, लेह, बीएसएनएल परिसर के नजदीक, केंद्र शासित प्रदेश - लद्दाख- 194101 दूरभाष : 01982-227241, फ़ैक्स : 01982-227240, E-mail : hop-nimoobazgo@nhpc.nic.in ख) कार्यपालक निदेशक, पर्यावरण एवं विविधिता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर- 33, फरीदाबाद-121003 दूरभाष नं. 0129-2250111 ईमेल: envdivmgn-co@nhpc.nic.in

6.	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	<p>परियोजना में निम्नलिखित पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:</p> <table border="1" data-bbox="768 226 1433 867"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>पर्यावरण प्रबंधन योजना</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>जैवविविधता संरक्षण</td></tr> <tr><td>2.</td><td>जलग्रहण क्षेत्र उपचार</td></tr> <tr><td>3.</td><td>मात्स्यकी का विकास</td></tr> <tr><td>4.</td><td>स्वास्थ्य योजना</td></tr> <tr><td>5.</td><td>ऊर्जा विकल्प योजना</td></tr> <tr><td>6.</td><td>मलबा निपटान योजना</td></tr> <tr><td>7.</td><td>बाँरो पिट्स और खदान स्थलों का पुनरुद्धार</td></tr> <tr><td>8.</td><td>जलाशय रिम उपचार ओर हरित पट्टी</td></tr> <tr><td>9.</td><td>ठोस कूड़ा करकट प्रबंधन</td></tr> <tr><td>10.</td><td>आपदा प्रबंधन योजना</td></tr> <tr><td>11.</td><td>पर्यावरण मानीटरिंग कार्यक्रम</td></tr> <tr><td>12.</td><td>पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना	1.	जैवविविधता संरक्षण	2.	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	3.	मात्स्यकी का विकास	4.	स्वास्थ्य योजना	5.	ऊर्जा विकल्प योजना	6.	मलबा निपटान योजना	7.	बाँरो पिट्स और खदान स्थलों का पुनरुद्धार	8.	जलाशय रिम उपचार ओर हरित पट्टी	9.	ठोस कूड़ा करकट प्रबंधन	10.	आपदा प्रबंधन योजना	11.	पर्यावरण मानीटरिंग कार्यक्रम	12.	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना
क्र.सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना																											
1.	जैवविविधता संरक्षण																											
2.	जलग्रहण क्षेत्र उपचार																											
3.	मात्स्यकी का विकास																											
4.	स्वास्थ्य योजना																											
5.	ऊर्जा विकल्प योजना																											
6.	मलबा निपटान योजना																											
7.	बाँरो पिट्स और खदान स्थलों का पुनरुद्धार																											
8.	जलाशय रिम उपचार ओर हरित पट्टी																											
9.	ठोस कूड़ा करकट प्रबंधन																											
10.	आपदा प्रबंधन योजना																											
11.	पर्यावरण मानीटरिंग कार्यक्रम																											
12.	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना																											
7.	<p>परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण)</p> <p>क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र)</p> <p>ख) अन्य</p>	<p>क) जलमग्न क्षेत्र: 287.67 हैक्टेयर</p> <p>i. वन भूमि: शून्य</p> <p>ii. अन्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> - निजी भूमि: 15.50 हैक्टेयर - सरकारी भूमि: 265.20 हैक्टेयर - सैन्य भूमि: 06.97 हैक्टेयर <p>ख) अन्य : 77.91 हैक्टेयर</p> <ul style="list-style-type: none"> - निजी भूमि: 02.57 हैक्टेयर - सरकारी भूमि: 75.34 हैक्टेयर <p>कुल भूमि : 365.58 हैक्टेयर</p>																										
8.	<p>जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण :</p> <p>क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी</p> <p>ख) अन्य</p>	<p>कुल प्रभावित परिवार- 44</p> <p>जनसंख्या- 4 गावों के 123 निवासी</p> <p>केवल घर खोने वाले- शून्य</p> <p>निजी भूमि खोने वाले- 44 परिवार</p> <p>जमीन व घर खोने वाले परिवार – शून्य</p> <p>क) 44</p> <p>ख) शून्य</p>																										
9.	<p>वित्तीय ब्यौरा</p> <p>क) परियोजना की लागत, जैसीकि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष</p>	<p>क) पारित लागत: 985.15 करोड़ रुपए (समापन तिथि के पश्चात)</p>																										

	<p>ख) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए आवंटन</p> <p>ग) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च</p> <p>घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च</p>	<p>ख) 1006.00 लाख रुपए + 1144 लाख रुपए = 2150.00 लाख रुपए</p> <p>ग) 973.46 करोड़ रुपए</p> <p>घ) 1440.34 लाख रुपए</p> <table border="1" data-bbox="764 514 1492 1717"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>पर्यावरण प्रबंधन योजना</th> <th>लागत (लाख रुपए)</th> <th>खर्च राशि (लाख रुपए)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>जैवविविधता संरक्षण</td> <td>69.00</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>जलग्रहण क्षेत्र उपचार</td> <td>265.83</td> <td>260.08</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>मात्स्यकी का विकास</td> <td>142.44</td> <td>142.44</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>स्वास्थ्य योजना</td> <td>55.00</td> <td>16.75</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>ऊर्जा विकल्प योजना</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>मलबा निपटान योजना</td> <td>40.60</td> <td>40.60</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>बॉरो पिट्स और खदान स्थलों का पुनरुद्धार</td> <td>75.00</td> <td>17.03</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>जलाशय रिम उपचार ओर हरित पट्टी</td> <td>31.00</td> <td>17.11</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>ठोस कूड़ा करकट प्रबंधन</td> <td>27.50</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>आपदा प्रबंधन योजना</td> <td>110.00</td> <td>54.72</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>पर्यावरण मानीटरिंग कार्यक्रम</td> <td>20.00</td> <td>07.50</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना</td> <td>1197.60</td> <td>869.11</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">कुल</td> <td>2058.97</td> <td>1440.34</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना	लागत (लाख रुपए)	खर्च राशि (लाख रुपए)	1.	जैवविविधता संरक्षण	69.00	15.00	2.	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	265.83	260.08	3.	मात्स्यकी का विकास	142.44	142.44	4.	स्वास्थ्य योजना	55.00	16.75	5.	ऊर्जा विकल्प योजना	25.00	0.00	6.	मलबा निपटान योजना	40.60	40.60	7.	बॉरो पिट्स और खदान स्थलों का पुनरुद्धार	75.00	17.03	8.	जलाशय रिम उपचार ओर हरित पट्टी	31.00	17.11	9.	ठोस कूड़ा करकट प्रबंधन	27.50	0.00	10.	आपदा प्रबंधन योजना	110.00	54.72	11.	पर्यावरण मानीटरिंग कार्यक्रम	20.00	07.50	12.	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना	1197.60	869.11	कुल		2058.97	1440.34
क्र. सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना	लागत (लाख रुपए)	खर्च राशि (लाख रुपए)																																																							
1.	जैवविविधता संरक्षण	69.00	15.00																																																							
2.	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	265.83	260.08																																																							
3.	मात्स्यकी का विकास	142.44	142.44																																																							
4.	स्वास्थ्य योजना	55.00	16.75																																																							
5.	ऊर्जा विकल्प योजना	25.00	0.00																																																							
6.	मलबा निपटान योजना	40.60	40.60																																																							
7.	बॉरो पिट्स और खदान स्थलों का पुनरुद्धार	75.00	17.03																																																							
8.	जलाशय रिम उपचार ओर हरित पट्टी	31.00	17.11																																																							
9.	ठोस कूड़ा करकट प्रबंधन	27.50	0.00																																																							
10.	आपदा प्रबंधन योजना	110.00	54.72																																																							
11.	पर्यावरण मानीटरिंग कार्यक्रम	20.00	07.50																																																							
12.	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना	1197.60	869.11																																																							
कुल		2058.97	1440.34																																																							
10.	<p>वन भूमि की आवश्यकताएं</p> <p>क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति</p> <p>ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में</p>	<p>क) लागू नहीं</p> <p>ख) लागू नहीं</p>																																																								

	स्थिति	
11.	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख ख) पूरा होने की तारीख	क) नवम्बर 2006 ख) अक्टूबर 2013
12.	विलम्ब के कारण। यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है	लागू नहीं
13.	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) समीक्षा समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	क) समीक्षा समिति: i. पर्यावरण समीक्षा समिति की पहली बैठक 22.07.2008 को हुई। ii. पर्यावरण समीक्षा समिति की दूसरी बैठक 10.12.2013 को हुई। iii. पर्यावरण समीक्षा समिति की तीसरी बैठक 22.05.2018 को हुई। ख) क्षेत्रीय कार्यालय: i. श्री एस. के. सहरवाते, वन संरक्षक (केंद्रीय), पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण व वन मंत्रालय, चंडीगढ़ ने 13.09.2008 में परियोजना का दौरा किया। ii. अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 05.11.2008 को परियोजना का दौरा किया। iii. श्री सुरेन्द्र कुमार, निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ ने दिनांक 05.08.2014 से 07.08.2014 तक परियोजना का दौरा किया। iv. सलाहकार, MoEF & CC, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ ने 22.05.2018 को परियोजना का दौरा किया।
14	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	संलग्नक-क के रूप में संलग्न।

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति पत्र संख्या J-1-2011/3/2005-IA-I दिनांक 30.05.2005 द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति :

भाग क: विशिष्ट शर्तें

क्र. स.	शर्तें	अनुपालन स्थिति
I.	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य को पाँच वर्ष में किया जाएगा।	जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्यों को अमल में लाने हेतु, जैव विविधता संरक्षण योजना के तहत वन विभाग, लेह द्वारा ससपोल के पास एक नर्सरी विकसित की गई है। CAT योजना के अंतर्गत प्रस्तावित इंजीनियरिंग उपायों पर कार्य, परियोजना के लिए प्रस्तुत विस्तृत प्रस्ताव के आधार पर वन विभाग और मृदा संरक्षण विभाग, लेह द्वारा जमा आधार पर विशिष्ट उप-जलक्षेत्रों में किया गया है। अभी तक रु. 232.97 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।
II.	आल्ची मोनस्ट्री के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा NOC लिया जाए।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या. F.No. 24/07/2005-M दिनांक 08.3.2006 द्वारा दिया गया है।
III.	ईएमपी में 19 परिवारों के लिए प्रस्तावित पुनर्वास और पुनर्स्थापना पैकेज पूर्ण में लागू किया जाना चाहिए। प्रभावित परिवारों के आर्थिक पुनर्वास का कार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाना चाहिए जैसे कि, कंप्यूटर शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक / मैकेनिकल इत्यादि कार्य।	भूमि अधिग्रहण का कार्य जम्मू और कश्मीर राज्य विभाग द्वारा किया गया था। परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की अंतिम सूची को राज्य सरकार से प्राप्त किया गया है। जिला प्रशासन के माध्यम से आर एंड आर योजना लागू की गई है।
IV.	परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए मुआवज़ा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप, भूमि की कीमत का 30 प्रतिशत दिया जाना चाहिये।	परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे का भुगतान मौजूदा दरों के अनुसार किया गया था।
V.	प्रस्तावित मत्स्य विकास योजना राज्य मत्स्य पालन विभाग के	ट्राउट फिश हैचरी को मत्स्य पालन विभाग, लद्दाख द्वारा लेह के गांव चुचोट शम्मा में 4 कनाल 8 मरला

	परामर्श से लागू किया जाना चाहिए।	भूमि (लगभग 0.22 हेक्टेयर) के क्षेत्र में चैन लिंक फेंसिंग द्वारा विकसित किया गया है। खेत में 3 जोड़ी अमेरिकन प्रकार के रेसवे, वाटर इनलेट चैनल के साथ-साथ पानी की आपूर्ति के लिए डिसिल्टिंग चैंबर है और पानी को पास के झरने से चैनलाइज किया जा रहा है। क्षेत्र के ठंडे और कठोर मौसम को ध्यान में रखते हुए, सालमो टुटा फेरिओ (रेनबो ट्राउट) मछली की प्रजाति जो कि काफी ठंड सहनशील प्रजाति है, को फार्म में रखा गया है। कुल रु. 142.44 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य मात्स्यिकी विभाग से प्राप्त हो चुका है।
VI.	परियोजना के आसपास जीवजंतुओं के संरक्षण हेतु EMP के पृष्ठ 18 में जैव विविधता संरक्षण योजना व जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना का पूर्ण में पालन किया जाना चाहिए।	अनुमोदित योजना के अनुसार जैवविविधता संरक्षण योजना को जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

भाग ख : सामान्य शर्तें

क्र. स.	शर्तें	अनुपालन स्थिति
i.	पर्याप्त मुफ्त ईंधन की व्यवस्था निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों के लिए किया जाना चाहिए जिसका खर्चा परियोजना लागत में शामिल होना चाहिए ताकि पेड़ों कि अविवेकपूर्ण कटान रोका जा सके। साइट पर ईंधन(मिट्टी के तेल / लकड़ी / एलपीजी) उपलब्ध कराने के लिए ईंधन डिपो खोला जा सकता है।	परियोजना के निर्माण चरण के दौरान शर्त का अनुपालन किया जा चुका है। परियोजना कमीशन हो चुकी है, अतः यह शर्त अब प्रासंगिक नहीं है।
ii.	श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं व मनोरंजन की सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए।	परियोजना के निर्माण चरण के दौरान शर्त का अनुपालन किया जा चुका है। परियोजना कमीशन हो चुकी है अतः यह शर्त अब प्रासंगिक नहीं है।
iii.	निर्माण के लिए लगे हुए जा रहे सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा को अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए और वर्क परमिट जारी करने से पहले उनका पर्याप्त रूप से इलाज करना चाहिए है।	परियोजना के निर्माण चरण के दौरान शर्त का अनुपालन किया जा चुका है। परियोजना कमीशन हो चुकी है अतः यह शर्त अब प्रासंगिक नहीं है।
iv.	पुनर्वास व पुनर्स्थापना के लिए एक निगरानी समिति अनुसूचित जनजाति वर्ग, महिलाओं व	शर्त का अनुपालन किया जा चुका है। पुनर्वास व पुनर्स्थापना समीक्षा कमीटी का गठन उपायुक्त/

	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को शामिल कर गठित की जाए ।	मुख्य निष्पादन अधिकारी, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC), लेह के परामर्श से किया गया है। इस कमेटी में परियोजना प्रभावित परिवार, अनुसूचित जनजाति, व महिलाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।
v.	डंपिंग साइट को शामिल करते हुए निर्माण क्षेत्र के पुनरुद्धार का कार्य समतलन, गड्ढों को भरने, भूदृश्य निर्माण इत्यादि द्वारा किया जाना चाहिए। परियोजना क्षेत्र में उचित रूप से रोपण का कार्य किया जाना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका है। ईएमपी के अनुसार डंपिंग क्षेत्र सहित निर्माण क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए कार्य किए गए हैं।
vi.	ऊपर दिये गए रक्षा सुझाव उपायों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना की कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका है। कार्यान्वयन के लिए वित्तीय प्रावधान परियोजना के डीपीआर में शामिल किया गया था।
vii.	सुझाए गए रक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक बहुविधा समीक्षा कमेटी का गठन अलग-अलग विधाओं (जैसे की वानिकी, पारिस्थितिकी, वन्य-जीव, मृदा संरक्षण व गैर सरकारी संस्था (NGO)) के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाए।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका है। बहुविधा पर्यावरण समीक्षा कमेटी का गठन पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपायों की देख रेख के लिए दिनांक 27.08.2007 को किया गया।
viii.	मंत्रालय और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समीक्षा के लिए छह मासिक निगरानी रिपोर्ट नियत समय में की जाए।	छह-मासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व उसके एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जा रही है।

नोट: यह रिपोर्ट वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी रिपोर्ट के अर्थ को ही अंतिम माना जाए।